रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 सितम्बर, 1989/16 भाद्रपद, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 1989

संख्या कृषि-एफ-14(3)/85.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव गुम्मा, तहसील कसौली, जिला सोलन में परवाणू मण्डी के लिए रास्ता बनाने हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (एस० डी० एम०), सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (एस. डी. एम.), सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
सोलन	कसौली	गुम्मा	80/1/2/2/2/3/1	2	8

आदेश द्वारा,
एस0 एम0 कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव (कृषि)।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government notification No. Agr.* F. 14(3)/85 *dated* 10-8-1989 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th August, 1989

No. Agr. F. 14 (3)/85.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land as specified below is required to be taken by the Government at the public expense for a public purpose, namely for the construction of road leading to Terminal Market Yard at Parwanoo in Village Gumma, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh. It is hereby, notified that land in the locality described below is likely to be required for the above purpose.

1. This declaration is made under the provisions of section-6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern, and under the provisions of section-7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (SDM), Solan, District Solan, Himachal Pradesh is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector (SDM), Solan.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Khasra No.	Area Big.	Area Bis.
Solan	Kasauli	Gumma	80/1/2/2/2/3/1	2	8

By order,
S. M. KANWAR,
*Agriculture Production Commissioner-*cum*-Secretary*.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 18 अगस्त, 1989

संख्या पंच-मण्डी-ए (5) 11/88-4947.---यतः श्री प्रेम दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भनेरा, खण्ड विकास करसोग, जिला मण्डी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468, 471 के अधीन पुलिस थाना करसोग में, ग्राम पंचायत भनेरा में निर्माणाधीन रास्ता व कूहल की राशि का छलहरण के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है ;

और यह कि श्री प्रेम दास को धारा 420/468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 16-5-89 को गिरफ्तार किया गया है ;

और यह कि उक्त श्री प्रेम दास पर प्रारम्भिक रूप में सभा निधि के छलहरण के आरोप सिद्ध हो चुके हैं इसलिए ऐसे व्यक्ति का प्रधान पद पर रहना तर्कसंगत नहीं;

अतः मैं, डा0 ए0 आर0 बसु, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त हैं, श्री प्रेम दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भनेरा, खण्ड विकास करसोग, जिला मण्डी को आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अधीन प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आगामी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

डा0 ए0 आर0 बसु,
उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 अगस्त, 1989

संख्या पीसीएच-एचए (5) 33/84.---राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उपायुक्त लाहौल-स्पिति के आदेश संख्या एल0एस0पी0-पंच (ए)-6/77-194-99, दिनांक 18-3-89 जिसके अन्तर्गत उन्होंने प्रधान, ग्राम पंचायत तिन्दी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अधीन निलम्बित किया है, को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। इन आदेशों का इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जून, 1989 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शिमला-2, 28 अगस्त, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 42/77.---क्योंकि श्री मोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत मायली, तहसील व जिला शिमला के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, हि0 प्र0 में दायर 20-10-87 की याचिका पर माननीय न्यायालय ने निदेशक पंचायती राज, हि0 प्र0 को 25-7-88 को इस मामले में नए सिरे से जांच करने के तथा

वांछित कार्यवाही की प्रस्तावना 5-9-89 तक न्यायालय को भेजने के आदेश दिए थे जिसकी अनुपालना में निदेशक पंचायती राज ने 19, 20 तथा 24 अगस्त, 1988 को जांच पूरी की और 5-9-88 को माननीय न्यायालय को अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय हि0 प्र0 ने निदेशक पंचायती राज, हि0 प्र0 की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 21-9-88 को राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर निदेशक पंचायती राज की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अनुसरण कार्यवाही के आदेश दिए, जिनकी अनुपालना में राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)42/77 दिनांक 12-10-88 द्वारा श्री सोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत मायली को निलम्बन का कारण बताओ नोटिस जारी किया और उक्त श्री सोहन लाल का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर 13 फरवरी, 1989 को उसे जहां प्रधान पद से निलम्बित कर दिया गया, वहां जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को निलम्बन आदेशों में वर्णित निम्न चार आरोपों पर जांच करने के आदेश दिए :—

1. पंचायत निधि से 18-8-81 तथा 23-4-87 के बीच की अवधि में 11 बार जो पंचायत धन राशि विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने को निकाली गई उसके लिए पंचायत की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई और काफी अन्तराल के बाद उस धन राशि का वितरण किया गया।

2. पंचायत की कार्यवाही पुस्तक में अलग स्याही से लिखा 25-3-84 का एक अध्यापक को वहां से बदलने का प्रस्ताव यह स्पष्ट कहता है कि कार्यवाही पुस्तक में खाली स्थान छोड़े जाते हैं और बाद में वहां फर्जी प्रस्ताव भरे जाते हैं।

3. श्री भगत राम की वसीयत का सत्यापन 30-8-82 को होना एक अवैध कार्य है जब कि उसकी मृत्यु 4-12-81 को हो गई थी।

4. सर्वश्री हरी दास तथा टेक चन्द को जारी आय प्रमाण पत्र श्री तुलसी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा जारी हैं परन्तु ये दोनों प्रमाण पत्र श्री सोहन लाल ने जारी किए हैं।

और क्योंकि जांच अधिकारी ने पहले आरोपों में लेखे जोखों के संधारण में अनियमितताओं की बात पाई है जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव को भी दोषी ठहराया है परन्तु पंचायत निधि से निकाली धन राशि को सही किया हुआ पाया है। दूसरा आरोप इसलिए निराधार है क्योंकि 25-3-84 को कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, केवल 21-10-83 को पारित प्रस्ताव जिसमें अध्यापक को बदलने की बात है की प्रति 25-3-84 को दी गई है। तीसरा आरोप सही है क्योंकि वसीयत का सत्यापन श्री भगत राम की मृत्यु के बाद श्री सोहन लाल ने बहैसियत प्रधान किया है। चौथे आरोप में अंकित प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां शिकायतकर्ता जांच अधिकारी को न दे सका जिसकी अनुपस्थिति में उनकी प्रमाणिकता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच अधिकारी की रिपोर्ट को जांचने के बाद श्री सोहन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत मायली के 13-2-89 के निलम्बन आदेशों को जहां समाप्त करने आदेश देते हैं, वहां उसे भविष्य में सावधान रहने का आदेश भी देते हैं, क्योंकि पहले आरोप में श्री सोहन लाल ने भले ही विभिन्न योजनाओं पर हुए खर्चों को निकाली धन राशि के लिए पंचायत की पूर्व स्वीकृति नहीं ली परन्तु निकाली गई धन राशि का कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ है। दूसरा आरोप जहां निराधार है, वहां तीसरे आरोप में जो गलत सत्यापन हुआ है उसके लिए प्रधान को बहैसियत प्रधान दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ऐसा सत्यापन वह केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकता था, जिसके लिए उसे केवल सचेत रहने का आदेश दिया जा सकता है। चौथे आरोप में अभी किसी तरह की कार्यवाही करना इसलिए सम्भव नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता मूल अभिलेख जांच के समय प्रस्तुत नहीं कर सका।

हस्ताक्षरित/-,
संयुक्त सचिव (पंचायत),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला-2, 30 अगस्त, 1989

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 315/76.—क्योंकि श्री जुगनु सुपुत्र श्री भुरू, गांव वैहली, डाकघर उपरली वैहली, विकास खण्ड सुन्दरनगर की शिकायत पर उक्त श्री जुगनु को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 11,000/- रुपये की स्वीकृति राशि के घपले में श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत उपरली वैहली, विकास खण्ड सुन्दरनगर संलिप्त लगते हैं।

और क्योंकि उपरोक्त तथ्य की पुष्टि के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी, मण्डी (एस0डी0एम0 मण्डी) को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

शिमला-2, 31 अगस्त, 1989

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0(5) 180/77.—क्योंकि श्री शक्ति लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड चड़गांव, जिला शिमला प्रधान की मोहर का इस्तेमाल करके प्रमाण-पत्र जारी कर रहे हैं;

तथा उनका यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों की स्पष्ट उलंघना है;

अतः हिमाचल प्रदश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री शक्ति लाल, उप-प्रधान को भविष्य में ऐसा न करने के आदेश देते हैं तथा इस मोहर को अविलम्ब सचिव, ग्राम पंचायत रोहल के पास जमा करने का आदेश देते है।

शिमला-2, 31 अगस्त, 1989

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 180/77.—क्योंकि श्री रीपन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड चड़गांव, जिला शिमला पर पंचायत प्रस्ताव के बिना 12-12-87 को मु0 1000/- रुपये की राशि बैंक से निकालने तथा 22-2-88 को बैंक में वापिस जमा करने का आरोप था;

और क्योंकि उक्त श्री रीपन लाल ने पंचायत की धनराशि ब्याज सहित पंचायत में जमा करवा दी है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत पूरी जांच करन के बाद श्री रीपन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड चड़गांव, जिला शिमला को भविष्य में ऐसा न करने का आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला - 5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।